बाटला हाउस कांड, मुंबई और अहमदाबाद धमाकों के बाद से
केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है आजमगढ़

संवाद न्यूज एजेंसी

आजमगढ़। देश की कई बड़ी आतंकी घटनाओं की जांच में आजमगढ़ का नाम सामने आता रहा है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट, वाराणसी और गोरखपुर धमाके, फैजाबाद, अहमदाबाद ब्लास्ट, बाटला हाउस मुठभेड़ और आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े मामलों में जिले के कुछ व्यक्तियों और क्षेत्रों का नाम जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो जिला सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया। इसी कड़ी में मोहम्मद नबील का भी नाम शामिल है, जिसे एटीएस ने शनिवार को दीदारगंज थाना क्षेत्र के चितारा महमूदपुर से गिरफ्तार किया। एनआईए की वांटेड सूची में आजमगढ़ से जुड़े सात संदिग्धों के नाम शामिल हैं। ये नाम विभिन्न आतंकी मामलों और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े प्रकरणों की जांच के दौरान सामने आए थे।

सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इनकी तलाश में जुटी हैं। एनआईए की वांटेड सूची में सरायमीर थाना क्षेत्र के संजरपुर निवासी मोहम्मद साजिद, मोहम्मद खालिद, शाहनवाज आलम, सदाब अहमद, अबू रशीद और मोहम्मद राशिद के अलावा कोतवाली क्षेत्र के राजा का किला मोहल्ला निवासी मिर्जा शादाब बेग का नाम शामिल है। जांच एजेंसियों के अनुसार इन व्यक्तियों के नाम विभिन्न आतंकी घटनाओं और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े मामलों की जांच के दौरान प्रकाश में आए थे। हालांकि, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के निर्णय के बाद ही होती है।

सबसे पहले मुंबई बम कांड से जुड़ा था अबू सलेम का नाम एनआईए की वांटेड सूची में जिले के सात नाम

जिस मामले में एसटीएफ, एटीएस या फिर एनआईए शामिल होती है, उस मामले में स्थानीय पुलिस कुछ नहीं करती, क्योंकि इस मामले को वही लोग हैंडल करते हैं। इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। **-चिराग जैन, एसपी ग्रामीण।**

काफी दिनों से चल रही एटीएस यूनिट के स्थापना की कवायद

एटीएस यूनिट की स्थापना के लिए जनपद में काफी दिनों से कवायद चल रही है। इसके लिए मंदुरी में जमीन भी मिल चुकी है लेकिन, अभी तक जमीन पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके स्थापित होने के बाद पूर्वांचल में सुरक्षा एजेंसियों को एक स्थायी आधार मिलेगा। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर टीमों को लखनऊ या अन्य स्थानों से आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी।

- **मुंबई सीरियल ब्लास्ट में आया अबू सलेम का नाम :** 12 मार्च 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में आजमगढ़ का नाम भी जुड़ा था। इस आतंकी हमले के प्रमुख आरोपियों में शामिल गैंगस्टर अबू सलेम मूल रूप से आजमगढ़ जनपद के सरायमीर क्षेत्र का रहने वाला है। अबू सलेम दाऊद इब्राहिम के गुर्गों में शामिल रहा है।
- **'मेड इन बम्हौर' की पिस्टल से हुई थी गुलशन कुमार की हत्या :** 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में टी-सीरीज कंपनी के मालिक और 'कैसेट किंग' गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान पता चला कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में बम्हौर नाम का एक गांव है, जहां के असलहे से हत्या की गई थी।
- अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था सरायमीर का अबू बशर : 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस हमले का कथित मास्टरमाइंड आजमगढ़ के सरायमीर का अबू बशर था।

बदमाशों ने तीन किलोमीटर तक पीछा कर युवक की गोली मारकर की हत्या

चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के सरसेना गांव में मुख्य मार्ग पर वारदात को दिया अंजाम पीछे बैठा दोस्त भी घायल

मऊ/चिरैयाकोट। सरसेना गांव में सोमवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने अनीश कुमार (25) की माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी। पीछे बैठा दोस्त गोल्डी घायल हो गया। बाइक सवार छह बदमाशों ने तीन किलोमीटर तक पीछा करके घटना को अंजाम दिया।

रानीपुर थाना क्षेत्र के काझा गांव के लखनऊवा पुरवा निवासी गोल्डी ने बताया कि वह अपनी बुआ के घर गया था। गांव निवासी दोस्त अनीश उसे लेने गया था। शाम करीब चार बजे दोनों उसकी बुआ के घर से निकले थे। रास्ते में दो बाइकों पर सवार छह युवक गाली देते हुए उनका पीछा करने लगे। सरसेना गांव में कमथरी मार्ग पर पहुंचते ही उनके करीब आकर एक बदमाश ने तमंचे से अनीश के माथे पर गोली मार दी। गोली लगते ही बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें वह भी घायल हो गया। जिस बाइक से फायरिंग की गई, वो भी पलट गई। राहगीरों को आता देखकर हड़बड़ी में बदमाश पल्सर बाइक छोड़कर भाग गए। संवाद

घटना में घायल दोस्त के बयान के और घटनास्थल पर मिली पल्सर बाइक के आधार पर जांच की जा रही है। परिजनों से बातचीत की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। **- कमलेश बहादुर, एसपी, मऊ**

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०), वाराणसी।

पत्रांक- 2058(i)/ आठ-वि०भू०अ०अ० (सं०सं०),वाराणसी दिनांक: 21/08/2026

सार्वजनिक सूचना

जनपद वाराणसी में दालमण्डी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुद्धीढ़ीकरण कार्य के भू-अर्जन हेतु प्रभावित ग्राम-काशीपुरा रकबा- 301.2898 वर्गमीटर व शहरखास रकबा-1842.33 वर्गमीटर का भू-अर्जन अधिनियम-2013 के अन्तर्गत धारा-19 का गजट प्रकाशन दिनांक-15.08.2026 तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" व "अमर उजाला" में दिनांक- 21.08.2026 को प्रकाशित कराया गया है। धारा-19 में प्रकाशित भवन सं०/ आराजियातों के काश्तकार को भू-अर्जन अधिनियम-2013 के अन्तर्गत धारा 21(1) व (2) प्रारूप 20(क) तथा धारा 21(4) व (5) प्रारूप 20(ख) की नोटिस निर्गत की जा चुकी है। निर्गत नोटिस के क्रम में यदि किसी प्रभावित काश्तकार को कोई आपत्ति हो तो दिनांक- 20.09.2026 को सायं 5:00 तक विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०) वाराणसी संकुल भवन चौकाघाट के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है ।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, (सं०सं०) वाराणसी

प्रधान के चुनाव की तैयारी कर रहे युवक की पीटकर की हत्या

चौकियामोड़ (बलिया) । उभांव थाना क्षेत्र में रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान अमरेश बहादुर सिंह की हत्या के चार दिन बाद सोमवार शाम को बदमाशों ने उमेश चौरसिया (35) की पीटकर हत्या कर दी। उमेश चौरसिया आगामी ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे थे।

एक सप्ताह पूर्व उनकी कुछ युवकों से कहासुनी हो गई थी। करनी गांव निवासी उमेश चौरसिया खेती-किसानी करते थे। परिवार के भरण-पोषण के लिए ट्रैक्टर चलाते थे। पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम उमेश मालीपुर चट्टी से निजी काम निपटाकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सद्दोपुर-भोजऊपुर के पास पांच छह की संख्या में अज्ञात हमलावरों ने उन्हें रोक लिया और लाठी-डंडे व बांस आदि से बेरहमी से पीटा। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद वह मौके पर ही गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने उमेश को तत्काल सीएचसी सीयर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच-पड़ताल की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। संवाद

कॉलेज कोड-1732 www.gssnursingcollege.com
गंगा सेवा सदन नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज
सम्बद्ध :- उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ
मान्यता प्राप्त :- इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली
डायरेक्ट एडमिशन प्रारम्भ : 2026-27
जी.एन.एम. (3 वर्ष)
(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी)
(योग्यता-10+2, इण्टरमीडिएट में अंग्रेजी में न्यूनतम 40% अनिवार्य, सभी वर्गों के लिए)
◉ अध्ययनरत छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति।
◉ एन ए बी एच/सरकारी अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण की सुविधा।
सीमित सीटें - शीघ्र प्रवेश लें
छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा
अभी रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें! चेयरपर्सन - श्रीमती सुशीला मौर्या
9935679799, 9250853034
महेशपुर, चाँदपुर चौराहा, वाराणसी-221106

लोहे की चादर के नीचे बना रखा था चैंबर, 13 लाख की शराब बरामद

कंदवा (चंदौली)। कंदवा थाने के गेट के सामने सोमवार रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने लोहे की चादर के नीचे बनाए गए विशेष चैंबर में छिपाकर रखी 147 पेटी शराब बरामद की। 1354.8 लीटर शराब की अनुमानित कीमत करीब 13 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर वाहन सीज कर दिया। सीओ पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि स्वाट प्रभारी निरीक्षक राम जनम यादव, सर्विलांस टीम प्रभारी उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा और कंदवा थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल के नेतृत्व में टीम रविवार रात करीब 2:18 बजे थाना गेट के सामने बैरियर लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। कंदवा की ओर से आ रहे वाहनों की कतार में शामिल 12 चक्का ट्रक का चालक अचानक यू-टर्न लेने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक रोक लिया और चालक को पकड़ लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम रिंकू चौहान निवासी हिनौता, थाना अहरौरा, मिर्जापुर बताया। ट्रक के ढाले की जांच में लोहे की चादर के नीचे विशेष चैंबर मिला, जिसमें शराब और बीयर की पेटियां छिपाकर रखी थीं। संवाद

डीसीएम में गुप्त केबिन में छिपाया था 2.20 क्विंटल गांजा, दो गिरफ्तार

सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली और एसओजी की टीम ने ओडिशा के कालाहांडी से दिल्ली के बौद्ध विहार इलाके में गांजा तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। रविवार की रात दो तस्करों बिरेस और गोविंद को गिरफ़तार कर लिया। डीसीएम में लोहे की चादर से बनाए गए गुप्त केबिन से सात बोरियों में रखा 1.10 करोड़ (2.20 क्विंटल) का गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में गिरोह के तार दिल्ली से ओडिशा तक फैले पाए गए हैं। रैकेट का संचालन दिल्ली से किए जाने की जानकारी मिली है। संवाद

punjab national bank ... name you can BANK upon! | पंजाब नैशनल बैंक ... भरोसे का प्रतीक

एआरएमबी वाराणसी– एस 20/56– डी केनेडी रोड, द माल, कैण्ट, वाराणसी – 221002 (उ0प्र0). ई–मेल: cs8331@pnb.bank.in

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के तहत सर्वसाधारण को

ई–नीलामी की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत चल / अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं / या 9 (1) के साथ पढ़ी जाती है।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल / अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर "जहां है जैसे है" और "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी वहाँ है" पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से बैंक / सुरक्षित ऋणदाता को देय। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होगी।

चल / अचल सम्पत्ति एवं सुरक्षित प्रतिभूतियों का विवरण

क्र0 सं0	उधारकर्ता का खाता / शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि दिनांक 31.08.2026 तक / 13(2) की दिनांक / 13(4) की दिनांक / कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धनराशि (रू0 लाख में) / वृद्धिशील धनराशि / अग्रिम धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि	निलामी हेतु दिनांक एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात रुकावटों का विवरण
1.	**ऋणी/बंधककर्ता: (1) संतोष धर द्विवेदी पुत्र श्री खुसियाल धर द्विवेदी,** पताः मकान नंबर –45, गली नंबर 3, ब्रह्मनगर, सोनभद्र, यूपी 231216 **(2) श्री संतोष धर द्विवेदी पुत्र खुसियाल धर द्विवेदी,** पताः निर्मला भवन, वार्ड नंबर 08, मकान नंबर 52, पिपरी रोड, राबर्ट्सगंज, यूपी– 231216 **शाखाः एआरएमबी वाराणसी (833100)**	सामयिक बंधक की भूमि एवं भवन, आराजी नं0 77, मौजा–मुसाही, परगना–बरहर, तहसील– राबर्ट्सगंज, जिला–सोनभद्र में स्थित, विक्रय विलेख संख्या 1289 दिनांक 06.02.2019 के अनुसार सब रजिस्ट्रार – राबर्ट्सगंज सदर, सोनभद्र में बुक नंबर 1, खण्ड सं0 5785, पृष्ठ 377 से 408 पर पंजीकृत, क्षेत्रफलः 5487.60 वर्गफुट या 510 वर्गमीटर, मालिकः संतोष धर द्विवेदी पुत्र खुसियाल धर द्विवेदी, **चौहद्दी विलेख के अनुसार – पूर्वः** जितेंद्र चंचल की भूमि, **पश्चिमः** सतीश शुक्ला और अन्य की भूमि, **उत्तरः** रोड (छवारा), **दक्षिणः** जितेंद्र चंचल की भूमि	रू0 33,77,678.68 + ब्याज के साथ दिनांक 01.09.2026 से प्रभावी + डीआई एवं अन्य शुल्क, लगे हुये, घटाकर वसूली, यदि कोई हो / 12.01.2023 / 24.03.2023 / सांकेतिक	25,75,000/- / 2,57,500/- / 50,000/- / 29.09.2026 सायं 04:00 तक	30.09.2026 11:00 AM to 04.00 PM	कुछ नहीं

नियम एवं शर्ते :– बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। 1. संपत्तियां **"जहां है जैसे है" और "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर बेची जा रही है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निविष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्द्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊपर लिखे दिनांक व समय के अनुसार की जायेगी तया बोलीकर्ताओं को सलाह दीजाती है कि नीलामी में भाग लेने के लिए वेबसाईट **https://baanknet.com** पर रजिस्टर करें। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तो के लिए, कृपया देखे **https://baanknet.com** और **www.pnbindia.in/ या श्री रूद्र नन्द, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नंबर–9204057664) एवं वरिष्ठ प्रबंधक श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (7355172362) से सम्पर्क करें।**

नोट : विवाद की स्थिती में अंग्रेजी अंक प्रकाशन ही मान्य होगा।

दिनाकः14.09.2026, स्थानः वाराणसी | सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं / या 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) | Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

क्षेत्रीय कार्यालय : द्वितीय तल, एस.एच.–15/182–एम–ए–2, एयरपोर्ट रोड, शिवपुर वाराणसी, ई–मेल : ro.varanasi@psb.bank.in

अचल/चल सम्पत्तियों हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना (15 दिन) । ई–नीलामी बिक्री दिनांक : 30.09.2026, अपरान्ह 14:00 बजे अपरान्ह 16:00 बजे तक

ईएमडी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 29.09.2026, प्रात : 06:00 बजे तक

ई–नीलामी बिक्री सूचना प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002. सुरक्षा हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ तहत अचल/चल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए जनसाधारण को और विशेष रूप से ऋणियों और जमानतकर्ताओं को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा पंजाब एंड सिंध बैंक, सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है उसे जैसा है जहां है, जैसा है जो है और जो कुछ भी है के आधार पर बिक्री के लिए बेचा जाएगा, पंजाब एंड सिंध बैंक सुरक्षित लेनदार के वसूली के लिए ।

बिक्री के लिए सम्पत्ति — Website: baanknet.com, punjabandsind.bank.in

क्र. सं.	ऋणकर्ता/जमानतकर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ बिड बढ़ोत्तरी राशि	मांग सूचना तिथि/ कब्जा सूचना तिथि बकाया धनराशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय प्राधिकृत अधिकारी
	शाखा – लहुराबीर, जिला वाराणसी				
1.	**1. ऋणकर्ता एवं बंधककर्ता : श्री मनोज कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र राम** **पता : (1)** ग्राम मिर्जापुर, पोस्ट एवं तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर, पिन कोड 233304 (2) मेसर्स सत्यम इण्टरप्राइजेज बीरसिंहपुर, सैदपुर, गाजीपुर, पिनकोड 233304 **2. सह–ऋणकर्ता एवं जमानतकर्ता :** श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री विरेन्द्र राम **पता : (1)** ग्राम मिर्जापुर, पोस्ट एवं तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर, पिन कोड 233304 (2) मेसर्स सत्यम कम्यूनिकेशन सी/ओ राम प्रसाद यादव, मिसिर चक, सैदपुर, जिला गाजीपुर पिन कोड 233221 **3. जमानतकर्ता :** श्री सत्यम कुमार सोनी पुत्र श्री विरेन्द्र राम पता : (1) ग्राम मिर्जापुर, पोस्ट एवं तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर, पिन कोड 233304 (2) प्लॉट नं. मि. 95, मौजा रामदत्तपुर, परगना शिवपुर वाराणसी 221007 **खाता सं. 03211200001892, 03211200002011**	अचल सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड आराजी संख्या मि. 95 मौजा रामदत्तपुर, परगना शिवपुर, तहसील सदर, जिला वाराणसी, **सम्पत्ति का क्षेत्रफल 1020 वर्ग फीट यानि 94. 79 वर्ग मी.** में सभी कंस्ट्रक्शन, फिटिंग एवं फिक्स्चर शामिल है जो कि **श्री मनोज कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र राम** के नाम है। **चौहद्दी (ब्रिकी विलेख के अनुसार): पूरब –** छुटक की भूमि, **पश्चिम –** पक्का रास्ता 20 फीट चौड़ा, **उत्तर –** बेबी की भूमि, **दक्षिण –** जुज भाग एवं श्री अनूप सिंह का मकान।	रू. 60,12,000/– / रू. 6,01,200/– / रू. 10,000/– / अधिभार का विवरण ज्ञात नही	24.09.2025 कब्जे का प्रकार सांकेतिक दिनांक 30.01.2026 / रू. 45,81,631/– दिनांक 31.08.2025 से + ब्याज एवं भावी व्यय 01.09.2025 तक एवं अन्य खर्च	दिनांक 30.09.2026 दोपहर 14:00 से सायं 16:00 बजे तक / साहिल गोयल मो. नं. 9520323300
2.	**1. ऋणकर्ताः श्री सारांश पाठक पुत्र श्री अशोक कुमार पाठक** **पता :** निवासी एस 2/41, दौलतपुर, पाण्डेयपुर, परगना शिवपुर, वाराणसी 221002 **2. जमानतकर्ता :** श्री अभिषेक पाण्डेय पुत्र श्री अखिलेश पाण्डेय **पता :** निवासी पुरानी बस्ती, मुबारकपुर, सदर, बिजलीपुर, आजमगढ़ 276404 **खाता सं. 03211200001188**	दृष्टिबंधक वाहन का विवरण : (i)वाहन :MAHINDRA & MAHINDRA ALTURAS G4 4WD (ii) रजिस्ट्रेशन संख्या .: UP-65-DN-8088 (iii) ईजन संख्या.: 67298022631000 (iv) चेचिस संख्या.: MA1PD4PCGK6B33958 (इनवाइस के अनुसार) श्री सारांश पाठक के नाम पर पंजीकृत	रू. 10,50,000/– / रू. 1,05, 000/– / रू. 10,000/– / अधिभार का विवरण ज्ञात नही	17.09.2025 कब्जे का प्रकार सांकेतिक दिनांक 08.02.2026 / रू. 13,89,718.30/– दिनांक 31.08.2025 से + ब्याज एवं भावी व्यय 01.09.2025 तक एवं अन्य खर्च	दिनांक 30.09.2026 दोपहर 14:00 से सायं 16:00 बजे तक / साहिल गोयल मो. नं. 9520323300

ईएमडी को बोलीदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अपने वॉलेट में ई–नीलामी पोर्टल baanknet.com by NEFT/RTGS/CHALLAN द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। उस खाते का विवरण जिसमें ईएमडी के बाद शेष राशि आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से जमा की जानी है। खाता का नाम एनईएफटी स्थानक खाता, खाता संख्या 80125040070003, आईएफएस कोड PSIB00008012 बिक्री की विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://punjabandsindbank.co.in/module/sarfaesi.list & https://www.baanknet.com देखें। इस नोटिस को नियम 8 (6) सुरक्षा हित 9 (प्रवर्तन), नियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं तथा जमानतकताओं (L/Rs) को 15 दिनों की स्टैचुरी बिक्री नोटिस के रूप में माना जाये।

यह नोटिस नियम 8 (6) सुरक्षाहित (प्रवर्तन), नियम 2002 के अन्तर्गत ऋणियों/जमानतकर्ताओं (एल/आर) को 15 दिनों का वैधानिक बिक्री नोटिस भी माना जाएगा।

बिक्री सूचना अंग्रेजी संस्करण इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशन ।

दिनांक : 14.09.2026 | स्थान – वाराणसी | प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एवं सिन्ध बैंक